**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक**
**(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)**

**उनवान**

रामदयाल पुत्र ईसरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
वादी

**बनाम**

1. कन्हैयालाल पुत्र ईसरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

प्रतिवादीगण

**दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती**

मुकदमा नम्बर :– 82 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील वादी मिनजानिब मुददइ व श्री रूपनारायण मीणा वकील प्रतिवादी न0 1 मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 5.10 हैक्टर वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादी को प्रतिवादी न0 1 के साथ सहखातेदार अर्थात 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 07 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 82/2018
निर्णय दिनांक– 23.07.2018

उनवान

रामदयाल पुत्र ईसरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र ईसरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती
उपस्थित– 1. श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील वादी
2. श्री रूपनारायण मीणा वकील प्रतिवादी न01

## निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह है कि वादी एवं प्रतिवदी न0 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 5.10 हैक्टर वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। वादग्रस्त आराजी मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी न0 1 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी न0 1 मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा राज्य सरकार को लगान जमा करवाते चले आ रहे है। वादी परिवार मे कर्ता था तथा समस्त कार्य वादी द्वारा ही निष्पादित किये जाने थे इस कारण वादग्रस्त आराजी विधि विरूद्व रूप से मात्र वादी के नाम ही खातेदारी मे दर्ज हो गई, जबकि वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्से पर वादी व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी न0 1 काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी गलत रूप से मात्र प्रतिवादी न0 1 के नाम ही खातेदारी मे दर्ज हो जाने के कारण वादी के हक व अधिकारों को चेलेन्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने व स्वयं कब्जा करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई हक व अधिकार नही है। आज से 8–10 दिन पूर्व वादी अपने हिस्से पर हकाई जुताई कर रहा था तो प्रतिवादी न0 1 मौके पर आकर वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमेत बेजा की तथा बेदखल करने की धमकी दी। इसी कारण यह वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादीर डिकी फरमाया जावें। आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 5.10 हैक्टर वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक का वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.7.2018 को उपस्थित होकर इकबाली जवाव दावा पेश किया गया । वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा तथा वादी के गवाहान रामफूल व बद्री के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर गोर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । नकल, जमाबन्दी सम्वत् 2072–74 वाके ग्राम रूघनाथपुरा में आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 5.10 हैक्टर कन्हैयालाल पुत्र ईसरलाल जाति गुर्जर सा0 देह की खातेदार मे दर्ज है। प्रतिवादी न0 1 द्वारा इकबाली जवाब दावा व शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादी के वाद की पुष्टि की गई है। वादी ने भी अपने वाद के समर्थन मे स्वयं के शपथ पत्र के साथ साथ गवाह रामफुल व बद्री के भी शपथ पत्र प्रस्तुत किय हं। वादी व प्रतिवादी न0 1 सगे भाई है। प्रतिवादी न0 1 ने अपनी खातेदारी मे अंकित उक्त वर्णित आराजी मे से 1/2 हिस्से की भूमि को अपने भाई वादी न0 1 के नाम लगाये जाने मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की हैं।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी न0 1 डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 5.10 हैक्टर वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादी को प्रतिवादी न0 1 के साथ सहखातेदार अर्थात 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो । फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner